बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

सं.संख्या–टी3/योजना–25/2008– 1110 /पटना,दिनांक 2-5-17

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अपर सचिव ,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– स्थापित महिला औ0 प्र0 संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 50.00(पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि स्थापित महिला औ0प्र0संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना राज्य स्कीम की स्वीकृति विभागीय पत्र संख्या 2472 दिनांक 3–7–2008 के तहत दी गई थी ,जो निम्नवत है–

कम सं0		व्यवसाय	स्वीकृत यूनिट	अनुदेशक के स्वीकृत पद
1	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा पटना	आई0 टी0 एण्ड ई0 एस0 एम0	1	1
2	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुज0	आई0 टी0 एण्ड ई0 एस0 एम0	1	1
3	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोतिहारी	इलेक्ट्रीशियन	1	1
4	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा	इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक	1	1
5	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरा	इलेक्ट्रीशियन	1	1
6	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीवान	आई0 टी0 एण्ड ई0 एस0 एम0	1	1
7	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गया	इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक	1	1
	योग		07	07 पद

वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11,2011–12, 2012–13 ,2013–14, 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 में यह राज्य स्कीम स्वीकृति किया जा चुका है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस राज्य स्कीम के अन्तर्गत उपबंधित राशि निम्नवत है–

कूट इकाई	विषय शीर्ष	राशि
0112.01.01	वेतन	3,00,000.00
0112.01.03	जीवन यापन भत्त	4,00,000.00
0112.01.04	मकान किराया भत्ता	50,000.00
0112.01.06	चिकित्सा भत्ता	10,000.00
0112.01.07	अन्य भत्ता	40,000.00
	योग वेतन	**8,00,000.00**
0112.11.01	यात्रा व्यय	50,000.00
0112.13.01	कार्यालय व्यय	10,00,000.00
0122.28.02	संविदा सेवाएँ	15,50,000.00
0112.52.02	मशीनें एवं उपस्कर–अन्य	16,00,000.00
	योग	**50,00,000.00**

रुपये पचास लाख मात्र।

इस प्रकार कुल रूपये 50.00 लाख (चास लाख) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विमुक्त राशि का उपयोग स्थापित महिला औ0प्र0संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने से संबंधित राज्य स्कीम हेतु व्यय नियमानुसार किया जा सकेगा।

3 क्रय किए गए मशीनों एवं उपस्करों का इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में संबंधित यूनिट के प्रभारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।

4. सभी सामग्रियाँ प्राधिकृत डिलर / अधिकृत विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जायेगी जिसके गुणवत्ता के लिए संबंधित प्राचार्य जिम्मेवार होंगे।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,पटना होंगे। तथा संबंधित महिला औ0 प्र0 संस्थानों के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।

6. इस योजना पर होने वाला व्यय शीर्ष 2230 श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग संख्या 26, 0112 स्थापित महिला औ0प्र0संस्थान में न्या व्यवसाय प्रारंभ करना विपत्र कोड 26-2230030030112 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-टी3/यो0-25/08 के पृष्ट- 78 टी0 पर प्राप्त है एवं प्रारुप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0- 78 /टी0 पर प्राप्त है।

8. वित विभाग के संकल्प संख्या 2561 दिनांक 17-4-98 के प्रवधान के अनुसार राशि विमुक्त किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार सिंह) 28/4/17

अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः-टी3/यो0-25/08- 1110 /पटना,दिनांक 2-5-2017

प्रतिलिपिः-योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव, 28/4/17

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः-टी3/यो0-25/08- 1110 /पटना,दिनांक 2-5-2017

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव 28/4/17

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः-टी3/यो0-25/08- 1110 /पटना,दिनांक 2-5-2017

प्रतिलिपिः-निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/महिला औ0प्र0संस्थान से संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्राचार्य/उप प्राचार्य, महिला औ0प्र0संस्थान/ / निदेशालय बजट शाखा /मासिक व्यय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव 28/4/17

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः-टी3/यो0-25/08- 1110 /पटना,दिनांक 2-5-2017

प्रतिलिपिः-आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाघन विभाग बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अप लोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव 28/4/17

श्रम संसाधन विभाग।